

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF TOWN PLANNER

RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR

NO : ACTP/RHB/JPR/2019-20/252

Dt: 30-09-2019

To,

The Hon`ble Chairman/Housing Commissioner,
Rajasthan Housing Board, Jaipur.

The Chief Town Planner, Town Planning Department,
Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Chief Engineer-I/Chief Engineer-II/Chief Engineer-(HQ)
Addl.C.E.-I/Addl.C.E.-II/Addl.C.E.-III, Jaipur,
Rajasthan Housing Board.


Sub: Minutes of the 156th meeting of the Project Committee held on 25.09.2019

Sir,

Minutes of the 156th meeting of the Project Committee held on 25.09.2019 are
enclosed herewith for your kind perusal.

Thanking You,

Yours Sincerely


30/9/19

(S. L. SETHI)
ADDL. CHIEF TOWN PLANNER &
MEMBER SECRETARY

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 156 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 156 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2019 को दोपहर 3:00 बजे बोर्ड कक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:-

1. श्री भास्कर ए. सावंत
अध्यक्ष,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
अध्यक्ष
2. श्री पवन अरोड़ा,
आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
सदस्य
3. श्री वी. के. दलेला,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
प्रतिनिधि मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
सदस्य
4. श्री के. सी. मीना,
मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सदस्य
5. श्री जी.एस. बाघेला,
मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सदस्य
6. श्री एस. के. सिंघल,
मुख्य अभियन्ता (मु.)
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सदस्य
7. श्री नत्थू राम
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सदस्य
8. श्री एम. सी. उपाध्याय
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सदस्य
9. श्री सीताराम बारी,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सदस्य

21

10. श्री सन्त सरन,
उप नगर नियोजक,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

-

10. श्री पी.सी. यादव
सहायक नगर नियोजक,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

-

11. श्री एस. एल. सेठी,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सदस्य-सचिव

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-


एजेण्डा नं 1	परियोजना समिति की 155वीं बैठक दिनांक 24.04.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 155 वीं बैठक दिनांक 24.04.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2	परियोजना समिति की 155 वीं बैठक दिनांक 24.04.2019 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 155 वीं बैठक दिनांक 24.04.2019 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।
एजेण्डा नं 3	ऑटोमोबाईल बाजार विकसित करने हेतु सेक्टर-9, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर में स्थित वाणिज्यिक स्थल संख्या HG-1 एवं HG-2 के पुनः नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया।
एजेण्डा नं 4	सेक्टर-8, जोन-82, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Shops हेतु आरक्षित भूखण्ड पर Shopping Center की प्लानिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 5	अरावली मार्ग, मानसरोवर तथा सेक्टर-23, प्रताप नगर में मसाला चौक (जयपुर चौपाटी) के नियोजन के अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया तथा मण्डल में लेण्ड स्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण नियोजन हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण बाह्य स्रोत से वास्तुविद्कीय सलाहकार की सेवाएँ लिए जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 6	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (i) के तहत अरावली विहार, भिवाड़ी एवं इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में EWS/LIG के (G+3) तथा प्रावधान 4 A (ii) के तहत प्रताप नगर, जयपुर में EWS/LIG के (G+10), (G+11) के फ्लैट्स नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण में परियोजना समिति की प्रत्याशा में जारी मानचित्र की पुष्टि की गई।

22

एजेण्डा नं 7	इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर के सेक्टर-7, सेक्टर-13 में एक-एक अतिरिक्त आवासीय भूखण्ड तथा सेक्टर-14 में दो अतिरिक्त आवासीय भूखण्ड सृजित (प्लानिंग) कर नम्बरिंग करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार अतिरिक्त आवासीय भूखण्डों के सृजन के मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 8	पानेरियों की मादड़ी योजना, उदयपुर में खातेदारों को भूमि के बदले भूमि आवंटन करने हेतु विकसित भूखण्डों की प्लानिंग करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर के पत्र क्रमांक 108 दिनांक 09.05.2019 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 9	मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर की अनुमोदित योजना में सेक्टर-17, खसरा नम्बर-757 में उपलब्ध रिक्त भूमि पर EWS आवासों के नियोजन का संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदित करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार परियोजना समिति की प्रत्याशा में अध्यक्ष महोदय द्वारा किये गये अनुमोदन की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 10	ग्राम शिवबाड़ी अनुमोदित आवासीय योजना में खातेदारों को दिये जाने हेतु व्यावसायिक भूखण्डों के नियोजन व नम्बरिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार व्यावसायिक भूखण्डों के मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 11	बड़ली आवासीय योजना में जोधपुर-जैसलमेर रोड के दोनों ओर होटल/मॉल, पेट्रोल पम्प एवं सस्थाओं हेतु नियोजन करवाये जाने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि जोधपुर-जैसलमेर रोड पर सेक्टर-2 एवं सेक्टर-3 के दोनों ओर दो बड़े व्यावसायिक भूखण्डों को पूर्व स्वीकृत योजना अनुसार यथावत रखा जावे तथा सेक्टर-2 व सेक्टर-4 के दो बड़े संस्थानिक भूखण्ड को छोटे संस्थानिक भूखण्ड एवं सेक्टर-4 के एक बड़े व्यावसायिक भूखण्ड पर छोटे व्यावसायिक भूखण्ड, होटल तथा पेट्रोल पम्प एवं CS का नियोजन कर संशोधित मानचित्र जारी किया जावे।
एजेण्डा नं 12	परियोजना समिति की 154वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 एजेण्डा आईटम नम्बर-12 द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना-फलौदी मां लटियाल भवानी नगर फलौदी में व्यावसायिक भूखण्ड Block 'A' एवं CS-B में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार व्यावसायिक स्थल CS-B के संशोधन का अनुमोदन किया गया तथा व्यावसायिक भूखण्ड Block 'A' के प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन करते हुए 60.00 मीटर रोड पर कोने के दो बड़े भूखण्ड एवं मध्य में छोटे भूखण्ड तथा इन छोटे भूखण्डों के पीछे 9.00 मीटर रोड पर CS का नियोजन कर संशोधित मानचित्र जारी किये जावे।
एजेण्डा नं 13	सेक्टर-9, कुडी भगतासनी आवासीय योजना, जोधपुर में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड ए-14 एवं ए-16 (शॉपिंग सेन्टर) के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार व्यावसायिक भूखण्ड ए-16 (शॉपिंग सेन्टर) के मानचित्र का अनुमोदन किया गया तथा व्यावसायिक भूखण्ड ए-14 के प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन करते हुए एक होटल का बड़ा भूखण्ड एवं छः छोटे तथा दो बड़े व्यावसायिक भूखण्डों का नियोजन कर संशोधित मानचित्र जारी किये जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रकरण	
अतिरिक्त एजेण्डा 1	शिप्रा पथ तथा द्रव्यवती नदी के बीच में द्रव्यवती नदी के निर्माण पश्चात नीरजा मोदी स्कूल के समीप के मानसरोवर योजना की प्राप्त हुई (रिक्लेम) अनियोजित भूमि के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। प्रकरण में भूखण्ड का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा याचिका संख्या- DB. Civil Writ Petition No. 9497/2007 पी.एन. मेन्डोला बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा तथा भूखण्डधारी/आवंटी को इस संबंध में आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध पत्र मण्डल के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
अतिरिक्त एजेण्डा 2	मानसरोवर योजना में कॉमर्शियल बैल्ट-बी, वी.टी. रोड, जयपुर के नियोजित मानचित्र में फाउण्टेन एवं रिक्रियेशन प्लाजा हेतु आरक्षित स्थल के सौन्दर्यीकरण बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा मण्डल में लेण्ड स्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण नियोजन हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण बाह्य स्रोत से वास्तुविद्कीय सलाहकार की सेवाएँ लेकर इस हेतु क्रियान्विति करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
अतिरिक्त एजेण्डा 3	दस्तकार नगर योजना, नायला, जयपुर में Hospitality Centre, Community Centre & Dormitory, Shilp Gram with Food Court (जयपुर चौपाटी) के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मण्डल में Hospitality Centre, Community Centre & Dormitory, Shilp Gram with Food Court (जयपुर चौपाटी) के नियोजन हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण बाह्य स्रोत से वास्तुविद्कीय सलाहकार की सेवाएँ लेकर इस हेतु नियोजन एवं क्रियान्विति करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
अतिरिक्त एजेण्डा 4	सेक्टर-18, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर में उपलब्ध संस्थानिक भूमि के पुनःनियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

 30/9/19

(एस. एल. सेठी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य-सचिव,